

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारां (राज.)**

पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
10/2018	188 RTI	कडवावा	एफपी/1
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
के.च. खोर्डे	बनाम	ज.पू. लाल	

कील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
10/18	<p>पत्रावली पेश की। धारा 188 RTI अंतर्गत धारा... 188 RTI विरुद्ध प्रतिवादी के खिलाफ पेट किया रिपोर्ट... को पेश किया। रजिस्ट्रार को पत्र भेजा... प्रतिवादी को पेश हो। तलब कर प्रकरण दिनांक... को पेश हो। 22/6/18</p>	
22/6/18	<p>पत्रावली पेश हुई, राजस्व लोक अदालत/ केस में पत्रावली का निर्णय/कार्यवाही नहीं हो पाई है, अतः पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 31/7/18 को पेश हो।</p>	डा. पू. लाल
31/7/18	<p>आज पीटारसीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 4.9.18 को पेश हो।</p> <p align="center">रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
4/18	<p>पीटारसीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 16/10/18 को पेश हो।</p> <p align="center">रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
16/10/18	<p>पीटारसीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 23/11/19 को पेश हो।</p> <p align="center">रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
23/11/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी जेलों की तलबी हेतु तलबना आज ही पेश हो। वस्तु तलबी पत्रावली दिनांक 6/12/19 को पेश हो।</p>	

कार्यवाही एवं आदेश

न्यायालय

दिनांक

5/1/24

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राणी अनुपस्थित।  
 तीस वर आक्राण लगवाई गई। कोई उपस्थित  
 नहीं। प्रकरण अदालत हापरी अदालत पैरकी रकारिज  
 किया जाता है। सर पत्रावली पैराली शेकर दाखिल  
 दफ्तर हो।

Handwritten signature/initials.

Handwritten text, possibly a date or reference.

Handwritten text, possibly a signature or official stamp.

Handwritten text, possibly a date.

Handwritten text, possibly a signature or official stamp.

Handwritten text, possibly a continuation of the case details.

Handwritten text, possibly a date or reference.

Handwritten text, possibly a continuation of the case details.

Handwritten text, possibly a continuation of the case details.